



दिनांक 27.03.2024

प्रेस विज्ञप्ति 30 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक: 27.03.2024 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में आयोजित होली मिलन समारोह में पुलिस मुख्यालय, लखनऊ कमिश्नरेट व अन्य इकाईयों में नियुक्त पुलिस अधिकारीगण एवं सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के साथ फूलों की होली खेली गयी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सपरिवार होली की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुये प्रदेश में होली का त्यौहार शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने में उनके अथक योगदान की सराहना की गयी।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक रूल्स एण्ड मैनुअल, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड, पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन, पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस, पुलिस महानिदेशक पावर कारपोरेशन, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण निदेशालय, पुलिस महानिदेशक विजिलेन्स/उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक ईओडब्लू, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।





जनपद हमीरपुर/थाना बिवांर

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त
गिरफ्तार

- 15 हजार रूपये नगद

- 01 अवेध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 27.03.2024 को थाना बिवांर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा छानीखुर्द से इंगोहटा मार्ग स्थित ठेका के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 15 हजार रूपये नगद, 01 अवेध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिवांर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर, जनपद महोबा, हमीरपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिवांर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेन्द्र निवासी बेंता थाना बकेवर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—15 हजार रूपये नगद।

2—01 अवेध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हरदाई/थाना शाहाबाद

- 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 27.03.2024 को थाना शाहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहाबाद मौलागंज चौराहा के निकट से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुनऊवर उर्फ मुन्नवर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहाबाद पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुनऊवर उर्फ मुन्नवर निवासी मोहल्ला वाजिदखेल कस्बा व थाना शाहाबाद जनपद हरदाई।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की सोने—चाँदी के आभूषण
- चोरी के 19 हजार रूपये नगद
- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल
- 03 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 27.03.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1—अरमान 2—आबिद 3—दानिश को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की सोने-चौदी के आभूषण, चोरी के 19 हजार रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रुपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-अरमान निवासी टावर वाली गली सरायधारी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

2-आबिद निवासी मनिहारो वाला कुआ मोहल्ला रूकनसराय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

3-दानिश निवासी मनिहारो वाला कुआ मोहल्ला रूकनसराय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1-चोरी की सोने-चौदी के आभूषण।

2-चोरी के 19 हजार रुपये नगद।

3-घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4-03 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना जहांगीराबाद

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार
 - 09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
 - अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक: 27.03.2024 को थाना जहांगीराबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम अमरगढ़ रोसला जाने वाले रास्ते पर स्थित जरैला बाबा मन्दिर के पास स्थित बाग में बने ट्यूबेल के कमरे के पीछे से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त लोकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-लोकेश निवासी ग्राम बांसुरी थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1-09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मन्सूरपुर

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार
 - 08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
 - 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर
 - 04 अवैध शस्त्र की बाड़ी
 - अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक: 26.03.2026 को थाना मन्सूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पुरबलियान से सोहजनी तगान वाले रास्ते पर नहरवाई की खण्डहर कोठी से अवैध शस्त्र

फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त आबिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 04 अवैध शस्त्र की बाड़ी, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-आबिद निवासी ग्राम बझेडी थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी

1-08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2-02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3-04 अवैध शस्त्र की बाड़ी।

4-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

➤ जनपद जौनपुर/थाना सिकरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 07 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सिकरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राकेश कुमार को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 07 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।